12-65-58

(56)

BIADA

Bihar Industrial Area Development Authority

First Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna- 800004

Website-www.biadabihar.in, Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

Office Order

In pursuance of the decision taken in the Agenda No. 06 of 53rd Meeting of the BIADA Board of Directors dated 26.06.2018 and approval of the Department of Industries vide its letter No. 4587 dated 25.10.2018, it is circulated for information that as per Section 6 (9) of the BIADA Act, 1974 Leave and License Policy in view of the Industrialization and to promote the interest of the micro entrepreneurs.

The Policy shall be implemented with immediate effect with strict adherence to provisions/conditions as specified therein.

Enclosure:- Leave and License Policy.

12/11/18

Managing Director
BIADA, Patna

Memo No. 5667/L

Date:- 12/11/18

Copy to:- Executive Director [H.O., Muzaffarpur, Bhagalpur, Darbhanga]/ Law Officer, BIADA/I.T. Officer/S.A.O, BIADA/Executive Engineer/Establishment/M.D cell, for information and necessary action.

Managing Director
BIADA, Patna

PREPARED:-

CHECKED:-

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

1279
26/10/18 (123585)

पत्रांकः– 4587 पटना, दिनांकः– 25-10-18

5/स० विविध बियाडा(Leave & License Policy)–06/2018

1217/प्र०नि०/ल०
26-10-18

प्रेषकः–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
प्रथम तल, उद्योग भवन,
गाँधी मैदान, पटना।

प्रबंध निदेशक का कोषांग
26 OCT 2018
बियाडा, पटना

विषयः–बियाडा के Leave & License Policy के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि बियाडा द्वारा निदेशक पर्षद की 52वीं बैठक की कार्यवाही की कंडिका–6 के आलोक में **Leave & License Policy** के प्रस्ताव पर उद्योग विभाग की सहमति हेतु अनुरोध किया गया है।

विभाग द्वारा समीक्षोपरांत औद्योगिकीकरण की आवश्यकता तथा सूक्ष्म उद्यमियों के हितों के संवर्द्धन का ध्यान रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमियों को अनुमति एवं लाईसेंस **(Leave & License)** की सुविधा प्रदान करने हेतु **Leave & License Policy** (छायाप्रति संलग्न) पर सहमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुमति और लाइसेंस नीति

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) अधिनियम, 1974 (तत्पश्चात अधिनियम के रूप में निर्देशित) की धारा 14 (ड.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, औद्योगिकरण की आवश्यकता तथा सूक्ष्म उद्यमियों के हितों के संवर्द्धन का ध्यान रखते हुए, अपने नियंत्रण के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमियों को अनुमति और लाइसेंस की सुविधा देने के लिए नीति और प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं जो निम्नवत है :–

क. अनुमति और लाइसेंस करार प्राधिकार और सूक्ष्म उद्यमियों के बीच प्रचलित आवंटन नीति तथा उसके अधीन अपेक्षित फीस के भुगतान के अध्यधीन किया जाएगा।

ख. सूक्ष्म उद्योग (एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम में सूक्ष्म उद्योग की प्रचलित परिभाषा के अनुसार) को 3000 वर्गफीट तक का परिसर सर्वसमान फैक्ट्री कम्प्लेक्स अथवा औद्योगिक शेड प्राथमिक रूप से आवंटित किया जाएगा।

ग. अनुमति और लाइसेंस अवधि, अनुमति और लाइसेंस के लिए, आगे नवीकरण के अध्यधीन, आवंटन आदेश की प्राप्ति की तिथि से 11 माह की अवधि के लिए प्रस्तावित होगी।

घ. लाइसेंस प्राप्त परिसरों के लाइसेंस सर्वथा अनुज्ञात औद्योगिक क्रियाकलाप चलाने हेतु उपयोग के प्रयोजनार्थ है। लाइसेंसधारी को किसी भी समय संपूर्ण परिसर या उसके भाग को सबलेट करने/अंडर लेट/समनुदेशित करने अथवा उस पर तृतीय पक्ष अधिकार सृजित करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। प्राधिकार को अनुमति और लाइसेंस करार समाप्त करने तथा प्रतिभूति जमा जब्त करने का अधिकार होगा। यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर सब–लेट/अंडर–लेट/समनुदेशित किया जाता है अथवा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित किया जाता है अथवा अनाधिकृत अधिभोग की पहचान की जाती है।

एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इकाई का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए वह आवंटित की गई थी, नहीं किया जा रहा हो तो उसे बियाडा अधिनियम, 1974 तथा संबंधित संशोधन अधिनियमों के अधीन रद्द कर दिया जाएगा।

ड. अनुमति और लाइसेंस करार के पर्यवसान/समाप्ति पर लाइसेंसधारी से उसी भौतिक दशा में परिसर को जिस दशा में वह प्राधिकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त था, हस्तगत करने या परिसर को उसके मूल भौतिक स्थिति में वापस लाने हेतु प्राधिकार द्वारा यथा विनिश्चित चार्ज का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी।

च. सभी सामान्य निर्बधन और शर्तें वही होंगी जो प्रचलित आवंटन नीति की थी।

छ. ऐसी अनुमति और लाइसेंस के लिए मासिक लाइसेंस फीस इसके अधीन उल्लिखित फार्मूला पर विनिश्चित की जाएगी :–

[{भूमि का खर्च (क)+भवन निर्माण का खर्च (ख)+बियाडा के प्रशासनिक चार्ज के रूप में (क+ख) का 10%+240 माह के लिए @8% ब्याज} 240 द्वारा विभाजित]

ज. 03 माह के लिए लाइसेंस फीस आवंटिती से तत्काल/अग्रिम अदायगी के रूप में संदत्त की जाएगी।

झ. लाइसेंस फीस का भुगतान विलंब से किए जाने की दशा में 2% प्रतिशत दंड ब्याज की उगाही इकाई की भुगतेय मासिक लाइसेंस फीस पर की जाएगी।

ञ. बिहार सरकार, समय–समय पर, ऐसे निदेश तथा आगे अन्य निदेश जारी कर सकेगी, जो इस नीति के क्रियान्वयन को सुकर बना सके तथा/अथवा जो बिहार राज्य में औद्योगीकरण के हित में आवश्यक पाए जाएं।

LEAVE AND LICENSE POLICY

In exercise of powers conferred u/s 14(e) of Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) Act, 1974, (herein after referred to as the Act), the Government of Bihar may issue the following direction regarding the policy and procedure for providing the facility of leave and license to the micro entrepreneurs in the Industrial Areas under its control; keeping in view the need for industrialization and to promote the interests of the micro entrepreneurs, it may be permitted as below:-

a) Leave and license agreement shall be entered into between the Authority and the micro entrepreneurs subject to fulfillment of conditions stipulated under the prevailing allotment Policy and payment of requisite fee under the same.

b) Micro Industry (as per the prevailing definition of Micro Industry in MSMED Act) shall preferably be allotted premises upto 3,000 sq ft in flatted factory complex or Industrial shed.

c) Leave and license period is proposed to be for a period of 11 months from the date of receipt of allotment order for the leave and license, subject to further renewal.

d) The license of the licensed premises is strictly for the purpose for being used for carrying out the permitted Industrial activity. The licensee will not be allowed to sub-let/ underlet/ assign or create any third party right on the whole or any part of the premise at any point of time. Authority has the right to terminate the leave and license agreement and forfeit the security deposit in case the licensed premise is sub-let/ underlet/ assigned or any third party right is created or any unauthorized occupancy is identified. It is hereby being clarified that in case the unit is not being used for the purposes for which it was allotted, the same shall be cancelled in terms with BIADA Act, 1974 and allied Amendment Acts.

e) On termination / expiry of the Leave and License Agreement, the licensee is required to either hand over the premise in the same physical condition as it was licensed by the Authority or pay the charges as determined by the Authority to bring the premise back to its original physical state.

f) All the general terms and conditions would be the same as that of the prevailing allotment Policy.

g) The monthly license fee for such leave and license would be determined on the formula mentioned hereunder:-

[{Cost of the land (A) + cost of construction of building (B)} + 10% of (A+B) as Administrative charges of BIADA + interest @ 8% for 240 months] divided by 240.

h) License fee for 03 months shall be paid in advance as down payment from the allottee.

i) In case of delayed payment of license fee, a penal interest of 2% shall be levied upon the payable monthly license fee of the Unit.

j) The Government of Bihar may from time to time issue such other and further directions which may facilitate implementation of this policy and/or found necessary to be followed in the interest of industrialization in the State of Bihar.

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

BIADA

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in. Email- biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675998 2675991 2675889 (Fax)

कार्यालय आदेश

निदेशक पर्षद् की 56वीं बैठक की कार्यवली संख्या 07 में लिये गये निर्णय के आलोक में भू-आंवटन हेतु जिन बिन्दुओं पर विचार किया जाता है, उन सभी बिन्दुओं पर अनुमति एवं अनुज्ञप्ति नीति के तहत आवेदन देने वालों पर भी विचार किया जायेगा। मात्र इनके आवेदन के लिए न्यूनतम नेटवर्थ कुल परियोजना लागत का पूर्व के 20 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत होना निर्धारित की जाती है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र, पटना एवं हाजीपुर के लिये न्यूनतम अहर्ता 90 के स्थान पर 60 अंक एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 60 के बदले 40 अंक निर्धारित की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू मान्य होगा।

31/12/18

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:- 6774/L/II/MUK/MISC/300/2018 दिनांक:- 31/12/2018.

प्रतिलिपि:- /उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना/ मुजफ्फरपुर/ दरभंगा/ भागलपुर/ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी पटना/ विधि पदाधिकारी/ वरीय लेखा पदाधिकारी/ परामर्शी तकनीकी/ सूचना एवं प्रावैधिकी शाखा/ प्रभारी प्रबंध निदेशक कोषांग/ कार्यपालक (मीडिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

Scanned by CamScanner